Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Land Dispute Appeal No.- 180/2023

Surya Narayan Uraon*.....*Appellant

Versus

Ashok choudhary*.....*Respondent

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	04-10-2024	**—:आदेश:—** प्रस्तुत अपील न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर कटिहार द्वारा B.L.D.R वाद सं0— 86/2022—23 में दिनांक—25.02.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है। उभय पक्षों को सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा— सकरैलो, थाना सं0— 203, अंचल— बरारी, खाता सं0— 182, खेसरा सं0— 600, रकवा— 10 डी0 04 कड़ी विवादित भूमि है। उल्लेखनीय है कि उक्त खेसरा सं0— 600 में कुल रकवा— 1.60 एकड़ है। प्रश्नगत भूमि मूलतः चुल्हाई उरॉव, पिता— फुंसी उरॉव के नाम खतियान में दर्ज है। चुल्हाई उरॉव अपने पीछे 05 पुत्र यथा— बालेश्वर उरॉव, महावीर उरॉव, वासुदेव उरॉव, रामेश्वर उरॉव तथा जगदेव उरॉव को छोड़कर गुजर गये। कलान्तर में पॉचों पुत्र अपने पीछे वैध उत्तराधिकारियों को छोड़कर गुजर गये। वासुदेव उरॉव अपने पीछे एक पुत्र सूर्य नारायण उरॉव (अपीलार्थी) एवं दो पुत्री सूजी देवी तथा यशोदा देवी को छोड़कर गुजर गये। चुल्हाई उरॉव की वंशावली अपील ज्ञाप में दर्ज है। चुल्हाई उरॉव के सभी वारिशान प्रश्नगत भूमि सहित उनकी सम्पत्ति पर संयुक्त रूप से दखलकार हुए। उनके बीच किसी प्रकार का खानगी बॅटवारा नहीं हुआ। उत्तरवादी ने अनुमति वाद सं0— 28/2002—03 में अंचल अधिकारी, बरारी के आदेश ज्ञापांक— 636, दिनांक— 17.10.2002 के आलोक में प्रश्नगत भूमि अपीलार्थी से विक्रय संलेख सं0— 18522, दिनांक— 30.11.2002 द्वारा क्रय करने के दावे के साथ निम्न न्ययालय में उक्त वाद दायर किया। निम्न न्यायालय में अपीलार्थी ने किसी विक्रय संलेख से इंकार किया। प्रस्तुत विवाद में स्वत्व का संशलिश्ट प्रश्न (Complex question of Title) जुड़ा हुआ है। निम्न न्यायालय द्वारा इसकी अनदेखी करते हुए उत्तरवादी के पक्ष में आदेश पारित कर दिया गया है। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों से परे एवं अवैध है। प्रश्नगत भूमि R.S. सर्वे में चुल्हाई उरॉव के नाम दर्ज है। उनकी मृत्यु पश्चात उक्त भूमि पर पॉचों पुत्र संयुक्त रूप से दखलकार रहे हैं। अपोलार्थी चुल्हाई उरॉव के एक पुत्र वासुदेव उरॉव के वैध उत्तराधिकारी है। चुल्हाई उरॉव की सम्पत्ति पर सभी वारिशानों का संयुक्त दखल—कब्जा रहा है। अपीलार्थी द्वारा कभी भी इस तरह का कोई विक्रय संलेख निश्पादित	

Web Copy. Not Official.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	लगातार **04-10-2024**	30.11.2002 नहीं किया गया है। विक्रय संलेख सं0– 18522, दिनांक– 30.11.2022 एक जाली दस्तावेज है। क्रमशः आदिवासी समुदाय की भूमि की बिक्री हेतु अंचल अधिकारी अनुमति देने वाले सक्षम प्राधिकार नहीं हैं। B.T. Act की धारा 49(G) के अंतर्गत अनुमति देने हेतु समाहर्त्ता अथवा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता ही सक्षम प्राधिकार हैं। प्रश्नगत भूमि पर अपीलार्थी एवं इनके सह हिस्सेदारों का दखल–कब्जा है। प्रस्तुत विवाद का विचारण BLDR Act, 2009 की धारा 04 के अंतर्गत नही आता है। क्योंकि इसमें Complex question of Title जुड़ा हुआ है। निम्न न्यायालय द्वारा मनमाने ढंग से आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। उत्तरवादी द्वितीय पक्ष (मध्यपक्षी) यशोदा देवी उर्फ यासो देवी एवं सूजी देवी उर्फ सूजनी देवी ने भी अपीलार्थी के कथनों का समर्थन करते हुए प्रस्तुत अपील स्वीकृत करने की प्रार्थना की है। दूसरी तरफ उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत अपील कालबाधित होने एवं तथ्यों के आधार पर पोशणीय नही है। अपीलार्थी ने अंचल अधिकारी, बरारी से अनुमति प्राप्त कर बहुत पूर्व दिनांक– 30.11.2002 को प्रश्नगत भूमि उत्तरवादी के पास बिक्री करते हुए दखल प्रदान किया था। यह सही है कि अपीलार्थी खतियानी रैयत चुल्हाई उरॉव का पोता है। चुल्हाई उरॉव के सभी पॉचों पुत्र पृथक रूप से रह रहे थे। अपीलार्थी ने उक्त भूमि बॅटवारे में प्राप्त होने के आधार पर उत्तरवादी को बिक्री की। प्रश्नगत भूमि का नामांतरण उत्तरवादी के पक्ष में दर्ज है तथा ये भू–लगान भुगतान कर रहे हैं। अपीलार्थी द्वारा गलत मंशा एवं असामाजिक तत्वों से मिलकर उक्त भूमि से इन्हें बेदखल कर दिया गया। फलतः इनके द्वारा निम्न न्यायालय में उक्त वाद दायर करना पड़ा। निम्न न्यायालय ने उभय पक्षों की सुनवाई करते हुए दस्तावेजों के आधार पर आदेश पारित किया है, जिसमें उन्होंने अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी, बरारी को विवादित भूमि की मापी कराते हुए इन्हें दखल प्रदान करने का निदेश दिया है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। उभय पक्षों को सुनने, निम्न न्यायालय आदेश तथा अभिलेख में संलग्न सु–संगत सभी कागजातों/दस्तावेजो के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पश्ट है कि उत्तरवादी द्वारा प्रश्नगत भूमि पर क्रेता को हैसियत से दावा किया जा रहा है, जबकि अपीलार्थी का कथन है कि उन्होंने इस तरह का कोई विक्रय संलेख निश्पादित हीं नहीं किया है। इस कार्यालय के पत्रांक– 3970, दिनांक– 05.9.2024 द्वारा जिला अवर निबंधक, कटिहार से विक्रय संलेख के सत्यापन प्रतिवेदन की मॉग की गई थी। उन्होंने पत्रांक– 887, दिनांक– 26.9.2024 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित करते हुए विक्रय संलेख की प्रति	

Web Copy. Not Official.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	<u>लगातार</u> **04-10-2024**	उपलब्ध कराया है। निम्न न्यायालय ने पाया है कि अपीलार्थी ने अंचल क्रमशः अधिकारी, बरारी की अनुमति पश्चात प्रश्नगत भूमि उत्तरवादी के पास वर्श 2002 में बिक्री की है। किन्तु निम्न न्यायालय द्वारा इस तथ्य की अनदेखी की गई कि अंचल अधिकारी आदिवासी समुदाय की भूमि की बिक्री/अन्तरण हेतु सक्षम प्राधिकार है अथवा नहीं। अपीलार्थी द्वारा इस तथ्य को उठाते हुए स्पश्ट किया गया है कि इस प्रकार की भूमि के बिक्री हेतु B.T.Act की धारा 49(G) के अंतर्गत जिला समाहर्त्ता अथवा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता हीं मात्र सक्षम प्राधिकार हैं। उत्तरवादी द्वारा इस तथ्य का कोई खंडन नहीं किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी ने उत्तरवादी के पक्ष में किसी प्रकार का विक्रय संलेख निश्पादित करने से इंकार किया है। फलतः प्रस्तुत विवाद में ''स्वत्व का संशलिश्ट प्रश्न'' (Complex question of Title) जुड़ा होना स्पश्ट परिलक्षित होता है। इस प्रकार विवादों का विचारण इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे है। निम्न न्यायालय द्वारा इस तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए आदेश पारित किया गया है, जिसे वैध नही माना जा सकता है। अतः उपर्युक्त के आलोक में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विधि सम्मत एवं न्यायोचित नहीं पाते हुए निरस्त किया जाता है। उत्तरवादी को निदेश दिया जाता है कि जबतक किसी वरीय न्यायालय का कोई अन्यथा आदेश पारित नहीं होता हो तबतक प्रश्नगत भूमि पर अपीलार्थी के दखल–कब्जे में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नही करेंगे। अपील अभ्यावेदन स्वीकृत। उत्तरवादी यदि चाहें तो अपने उपचार हेतु सक्षम व्यवहार न्यायालय जाने के लिए स्वतंत्र है। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को भेजें। लेखापित एवं सशोधित आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	

Web Copy. Not Official.